फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 05/2022 शीर्षक संतोष बनाम केसी

दिनांक	कार्याही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
05.02.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 03 के अधिवक्ता ने लिखिल बहस पेश की जिसे शामिल फाइल किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जमीन खरीदी है तथा वर्तमान में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रभावशील है। रजिस्टर्ड विक्रय का सुनवाई का अधिकारी सिविल न्यायालय में दायर करना चाहिए जिसमें अपीलान्ट उत्तराधिकार की घोषणा की मांग कर सकते है। एवं पंजीकृत विक्रय पत्र को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने की मांग कर सकते हैं। जैसे की बलवंत बनाम दौलतसिंह राजस्थान उच्च न्यायालय, स्टेट आफ यूपी बनाम अमरसिंह में विदित है कि स्वामित्व विवादों का निपटारा सिविल कोर्ट में होता है। ना कि राजस्व अधिकारियों द्वारा। अतः यह अपील निरस्त की जाती है एवं अपीलाण्ट्स को निर्देशित किया जाता है कि सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जावे एवं विक्रय पत्र को निरस्त करवाया जाए। उसके आदेश अनुसार राजस्व न्यायालय अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु समर्थ होगा। अतः यह अपील नामान्तरकरण खारिज की जाती है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। सहायक कलेक्टर देवगढ़,जिला-राजसमन्द	